झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
झारखण्ड, राँची।

समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

समय : 10:30 AM

दिनांक : 7th & 8th JAN 2013

बैठक स्थल : IPH Convention Hall, आर0 सी0 एच0 कार्यालय, नामकुम, राँची।

अध्यक्षता : प्रधान सचिव, स्वा0, चि0 शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड।

उपस्थिति : अभियान निदेशक, NRHM झारखण्ड, निदेशक प्रमुख–स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड; निदेशक वित्त, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, कोषांग प्रभारी एवं परामर्शी -- Maternal Health, Child Health, Family Planning, Training, ARSH+SHP+PCPNDT, Finance Cell, Quality Assurance तथा जिला स्तर से सिविल सर्जन, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला आर0 सी0 एच0 पदाधिकारी, सभी FRU के प्रभारी पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक तथा Menstrual Hygiene के पाँच जिलों के जिला कार्यक्रम समन्वयक।

समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही निम्नलिखित है :–

➢ **सामान्य निर्देश :–**

- ✓ सभी सिविल सर्जन विभागीय स्थानांनतरण के पश्चात् चिकित्सकों का विवरणी (पूर्व में राज्य कार्यालय को भेजे गये प्रारूप में, मोबाईल नम्बर के साथ) 25 जनवरी 2013 तक राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- ✓ सभी जिला के सिविल सर्जन अपने स्तर से राज्य कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये ANM Duty आदेश को जिला में कार्यरत सभी ANM को उपलब्ध करायें।
- ✓ सिविज सर्जन जिला में कार्यरत सभी ANM को Rationalise करते हुए सुनिश्चित करें की प्रत्येक स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर कम से कम 1 ANM अवश्य पदस्थापित हो। कृत कारवाई का प्रतिवदेन एक सप्ताह के अन्दर राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराये।
- ✓ सिविल सर्जन अपने स्तर से सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रशिक्षण के लिए चिकित्सकों/स्वास्थ्य कर्मियों को विरमित किये जाने के पश्चात् प्रशिक्षण में भाग नहीं लेते है या विलम्ब से उपस्थित होते है तो उनके विरूद्ध कारवाई करते हेतु प्रशिक्षण में उनपे व्यय किये जाने वाले राशि को उनके वेतन से काटने के संबंध में स्पष्टिकरण माँगें एवं कृत कारवाई का प्रतिवेदन राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराये।
- ✓ सभी जिला लेखा प्रबंधक, जिला स्तर के सभी कार्यक्रम पदाधिकारीयों को कार्यक्रम के सुचारू संचालन में सहयोग प्रदान करेंगे।
- ✓ राज्य स्तर/प्रमण्डल स्तर पर किये जाने वाले सभी बैठक में जिला का Powerpoint Presentation जिला के सिविल सर्जन द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। Presentation में जिला के

पिछले प्रमण्डलीय समीक्षात्मक बैठक में दिखलाये ऑकड़ों के अनुरूप वर्तमान वित्तीय एवं भौतिक प्रगति / स्थिति दिखलाना अनिवार्य है।

- ✓ द्वितीय चरण का प्रमण्डलीय समीक्षात्मक बैठक 25 जनवरी 2013 से प्रारंभ होने की सूचना दी गई।
- ✓ यदि राज्य स्तरीय या प्रमण्डलीय समीक्षा बैठक किसी माह में 5 तारीख के बाद आयोजित कि जाती है तो उस बैठक में पिछले माह तक का प्रगति प्रतिवदेन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- ✓ सभी सिविल सर्जन जिला स्तर पर समीक्षा करें कि पिछले प्रमण्डलीय समीक्षात्मक बैठक के दौरान प्रर्दशित ऑकडों की तुलना में किन स्वास्थ्य केन्द्रों के उपलब्धि में गीरावट आई है, वहाँ के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को अपने स्तर से निदेशित करते हुए विशेष कार्ययोजना बनाकर स्थिति में सूधार लाना सुनिश्चित करें।
- ✓ सभी सिविल सर्जन को पूरे जिला के MCTS बैकलॉग को अभियान चलाकर माह फरवरी 2013 से पहले समाप्त करने का निदेश दिया गया।
- ✓ सभी सिविल सर्जन को पूरे जिला के JSY बैकलॉग भुगतान अभियान चलाकर मार्च 2013 से पहले समाप्त करने का निदेश दिया गया ताकी 1 अप्रैल 2013 से लाभार्थियों को आधार कार्यक्रम के तहत राशि का भुगतान किया जा सकें।
- ✓ सभी सिविल सर्जनों को निदेशित किया गया कि प्रत्येक माह के 5 तारीख से पहले पिछले माह का मुख्य कार्यक्रमों का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवदेन राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- ✓ सभी सिविल सर्जनों को जिला स्तरीय पदाधिकारियों को प्रखण्डवार नोडल पदाधिकारी नामीत करते हुए प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का निदेश पत्र द्वारा पूर्व में भेजा जा चुका था परन्तु प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है। पुनः निदेशित करते हुए प्रतिवेदन 10 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

➤ राज्य द्वारा Outsourcing के लिए Treasury Route से उपलब्ध करायी गई राशि के संबंध में :–

- ✓ राज्य मुख्यालय द्वारा Treasury Route से उपलब्ध कराये गये Outsourcing के मद की राशि का उपयोग सुनिश्चित करते हुए Account book में 31 मार्च 2013 तक बुक करने का निदेश दिया गया।
- ✓ वित्तीय वर्ष 2013-14 में Outsourcing के लिए आवश्यक राशि का Plan बनाकर प्रधान सचिव कार्यालय, डोरण्डा, राँची को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

➤ अगले ओदश तक वेतन बन्द करते हुए स्पष्टिकरण पत्र निर्गत करने के संबंध में :–

- ✓ निम्न जिला स्तरीय पदाधिकारियों / चिकित्सकों का अगले आदेश तक वेतन बन्द करते हुए संबंधित जिला के सिविल सर्जन स्पष्टिकरण पत्र निर्गत कर अधोहस्ताक्षरी एवं प्रधान सचिव को को कृत कारवाई का प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया –

जिला का नाम	पदाधिकारी / चिकित्सक का नाम / पदनाम
	समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण –
बोकारो	डॉ० कमलेश कुमार, जिला आर० सी० एच० पदाधिकारी
धनबाद	डॉ० विनोद कुमार गोस्वामी, जिला आर० सी० एच० पदाधिकारी
गिरिडीह	डॉ० सिद्धार्थ सन्याल, जिला आर० सी० एच० पदाधिकारी
सरायकेला	डॉ० के० के० सहगल, जिला आर० सी० एच० पदाधिकारी
रामगढ	डॉ० निर्मला, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारीए FRU - पतरातू

दुमका	डॉ० बी० के० मेहरा, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
पाकुड	डॉ० जे० पी० सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
	डॉ० एस० के० मेहरोत्रा, जिला आर० सी० एच० पदाधिकारी
गढ़वा	डॉ० ओ० पी० आर्या, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
	डॉ० पुष्पा सहगल, उपाधिक्षक, जिला अस्पताल
अनियमित उपस्थिति, कार्य के प्रति लापरवाही, indiscipline आदि के लिए —	
गिरिडीह	डॉ० निरज जैन एवं डॉ० अंजू जैन, FRU - राजधनवार
देवघर	डॉ० सीम्मी कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, FRU - सारवां
सरायकेला	डॉ० मनोरमा सिंह, FRU - राजनगर
कोडरमा	डॉ० अरूण कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, जयनगर
	डॉ० संजीव कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, डोमचांच
	डॉ० बिरेन्द्र कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, डोमचांच
	डॉ० एच० के० सिंह, HC प्रभारी, डोमचांच
पश्चिमी सिंहभूम	डॉ अविनाश चन्द्र सोई, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, झींकपानी
	डॉ० नरेश बारकी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सोनुआ
	डॉ० रणदीप मेलगाण्डी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, टोन्टो

- **ARSH Programme :-**
  - ✓ सभी जिला के सिविल सर्जन को निदेशित किया गया कि जिन ARSH Clinic में प्रशिक्षित सेवा प्रदाता नहीं है उन स्थानों के अन्य चिकित्सकों का नाम प्रशिक्षण के लिए नामित कर अनुरोध पत्र राज्य कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।
  - ✓ सिविल सर्जन जिला स्तर पर कार्यक्रम से संबंधित सभी प्रकार के रजिस्टर एक सप्ताह के अन्दर राज्य कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप के अनुसार प्रिंट करवाकर सभी ARSH Clinic पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
  - ✓ सभी जिला के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को जिला में कार्यरत सभी ARSH Clinics का प्रतिवेदन भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रतिवदेन प्रारूप के अनुसार ही राज्य कार्यालय को भेजने का निदेश दिया गया।
  - ✓ पलामु के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सदर CHC में 10 दिनों के अन्दर ARSH Clinic प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।
  - ✓ लातेहार के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को बालूमाथ CHC में 10 दिनों के अन्दर ARSH Clinic प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।
- **School Health Programme :-**
  - ✓ विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के नियमित साप्ताहिक प्रतिवदेन राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराना जिला आर० सी० एच० पदाधिकारी की जिम्मेदारी है।
  - ✓ सभी जिला के सिविल सर्जन एवं जिला आर० सी० एच० पदाधिकारी को अपने जिला में सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक एंव उच्च विद्यालयों की संख्या एवं उन विद्यालयों में पंजीकृत छात्रों की संख्या का प्रतिवदेन जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त कर राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- **Menstrual Hygiene :-**
  - ✓ कार्यक्रम के तहत नैपकिन वितरण में सहिया का ज्यादा से ज्यादा उपयोग सुनिश्चित करें।

✓ कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु IEC/BCC पर विशेष जोर दिया जाये।

✓ एक सप्ताह के अन्दर नैपकिन रखने हेतु रैक की उपलब्धता सुनिश्चित करें एवं प्रतिवेदन राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराये।

✓ जिन स्वास्थ्य केन्द्रों में स्थान की कमी है वहाँ पर निंगत दिशानिर्देश के अनुसार किराये पर कमरा लेकर नैपकिन को सुरक्षित रखा जाये।

✓ कार्यक्रम के तहत संबंधित जिलों के प्रखण्ड स्तर पर बिके हुए नैपकिन की राशि का कार्यक्रम के लिए खोले गये बैंक खाते में जमा करवाना एवं उसका अद्यतन विवरण राज्य कार्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।

- **WIFS :-**

✓ कार्यक्रम के संचालन हेतु जिला स्तर पर प्रशिक्षण एवं प्रखण्ड स्तर पर उन्मुखिकरण बैठक 20 जनवरी 2013 तक पूरा करने का निदेश दिया गया।

✓ कार्यक्रम संचालन हेतु जिला स्तर पर Procure किये जाने वाले आयरन गोली, Procurement Order दिये जाने के 45 दिनों बाद भी गोली उपलब्ध नहीं कराये जाने के संबंध में Order Place करने वाले कम्पनी को चेतावनी पत्र सिविल सर्जन अपने स्तर से निर्गत करें कि क्यों नहीं उनके विरूद्ध कारवाई करते हुए उन्हें Blacklist करने की कारवाई की जाये। पत्र की प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी को भी भेजा जाये।

- **PCPNDT :-**

✓ जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर PCPNDT कार्यशाला 31 जनवरी 2013 तक पूरा करने का निदेश दिया गया। कार्यशाला में प्रत्येक प्रतिभागीयों को PCPNDT Act की Amendment Book 2012 एवं राज्य कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये दिशानिर्देश की 1 प्रति को देना अनिवार्य है।

- **Training :-**

✓ वित्तीय वर्ष 2012-13 के जिला के सभी शेष प्रशिक्षण (SBA प्रशिक्षण को छोड़कर) 28 फरवरी 2013 तक समाप्त करने का निदेश दिया गया।

✓ सभी शेष SBA प्रशिक्षण 31 मार्च 2013 तक समाप्त करने का निदेश दिया गया।

- **Family Plnning :-**

✓ समीक्षा के दौरान पाया गया कि परिवार नियोजन के HMIS के ऑकड़ों एवं जिला द्वारा राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराये गये ऑकडों में बहुत ज्यादा अन्तर है, अतः सभी सिविल सर्जन एवं अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को ऑकड़ो की सत्याता जाँच कर ही प्रतिवेदन HMIS में अपलोड करने एवं राज्य कार्यालय को भेजने का निदेश दिया गया।

✓ सभी सिविल सर्जन को परिवार नियोजन का कैम्प, कैम्प की तिथि के पूर्व से प्रचार–प्रसार करते हुए निर्धारित तिथि को निर्धारित समय से प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।

✓ परिवार कल्याण माह 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2013 तक मनाये जाने की सूचना दी गई।

✓ सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर Contraceptive की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

✓ कार्यक्रम के तहत Surgeon, Trained Dictors एवं ANMs के लिए लक्ष्य को निर्धारित करते हुए उनके उपलब्धियों को Monitor क

✓

✓

✓

106 (MD) 2/1/13

✓

✓ रने का निदेश दिया गया। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उलब्धि न होने पाने के स्थिति में संबंधित ANMs के विरूद्ध कारवाई करते हुए कृत करावाई का प्रतिवेदन राज्य कार्यालय को उलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

- **Untied Fund/ Annual Maintenance Grant/Hospital Management Society :-**
  - ✓ उपकेन्द्र के Untied fund की राशि का उपयोग केन्द्र के लिए आवश्यक सामग्रीयां की Checklist बनाकर आवश्यकतानुसार क्रय करते हुए व्यय को Account book में 28 फरवरी 2013 तक बुक करने का निदेश दिया गया।
  - ✓ विशेष अभियान चलाकर Untied Fund/ Annual Maintenance Grant/ Hospital Management Society की राशि को राज्य कार्यालय द्वारा निर्गत दिशानिर्देश के अनुसार व्यय कर 30 मार्च 2013 तक बुक करने का निदेश दिया गया।
- **Institutional Delivery :-**
  - ✓ राज्य स्तर या प्रमण्डलीय स्तर पर आयोजित समीक्षात्मक बैठक में सरकारी एवं निजि क्लिनिकों में संस्थागत प्रसव के आँकड़ों को Presentation में अलग–अलग प्रदर्शित करने का निदेश दिया गया।
  - ✓ राँची जिला के सिविल सर्जन को रातू CHC का विस्तृत प्रतिवेदन (चिकित्सकों की संख्या, नाम, विशेषज्ञता, नियुक्ति का वर्ष, पदस्थापना का वर्ष, मोबाईल नम्बर तथा उपलब्ध दवाओं एवं उपकरणों का विवरण, कायक्रमों की उपलब्धी इत्यादी) अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
  - ✓ स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में संस्थागत प्रसव की संख्या बढ़ाने का निदेश दिया गया। अगर किराये में चलाये जा रहे स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में संस्थागत प्रसव कराने में कठिनाईयाँ आ रही है तो उन केन्द्रों का संचालन अलग स्थान पर करने का निदेश दिया गया।
  - ✓ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि PMCH धनबाद में JSY कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, अतः सिविल सर्जन को विस्तृत प्रतिवदेन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
  - ✓ दुमका जिला के सिविल सर्जन प्रखण्डवार 3rd ANC के ऑकडों में पाई गई अनियमितता को अपने स्तर से जाँच करते हुए अनियमितता के लिए जिम्मेदार प्रखण्ड के प्राभारी चिकित्सा पदाधिकारी को स्पष्टिकरण निर्गत कर राज्य कार्यालय को सूचित करें।
- **FRU :-**
  - ✓ EMoC एंव LSAS प्रशिक्षित कोई चिकित्सक सिजेरियन में किसी कारण से अपना योगदान नहीं देते हैं तो उन्हें स्पष्टिकरण पत्र निर्गत कर पुछा जाये कि क्यों नहीं उनके प्रशिक्षण में सरकार की ओर से व्यय किये गये राशि को उनके वेतन से काटकर उस राशि से किन्हीं ओर चिकित्सक को प्रशिक्षित किया जाये जो अपना योगदान सिजेरियन में करना चाहते है।
  - ✓ EMoC एंव LSAS प्रशिक्षित कोई चिकित्सक विश्वास (Confidence) की कमी के कारण सिजेरियन में अपना योगदान नहीं प्रदान कर रहें है तो उनके पुनः प्रशिक्षण (Refresher) के लिए अधोहस्ताक्षरी को अनुरोध पत्र भेजने का निदेश दिया गया।
  - ✓ राँची जिला के सिल्ली FRU के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने सूचित किया कि उनके संस्थान के सिजेरियन प्रसव फरवरी 2013 से नियमित रूप से प्रारंभ हो जायेगा।

- ✓ राँची जिला के डोरण्डा FRU के प्रभारी को अस्पताल परिसर में संस्थान में निःशुल्क संस्थागत प्रसव की सुविधा, JSSK कार्यक्रम के तहत निःशुल्क प्रदत्त सुविधाओं की जानकारी, विशेषज्ञ चिकित्सकों के नाम, विशेषज्ञता एवं उनका मोबाईल नम्बर 3 दिनों के अन्दर प्रदर्शित करने का निदेश दिया गया। अन्य सभी सिविल सर्जन अपने –अपने FRU में भी यह सुनिश्चित करें।
- ✓ खूँटी जिला के तोरपा FRU के डॉ0 प्रभात कुमार (LSAS) को Refresher प्रशिक्षण में भेजने का निदेश दिया गया।
- ✓ लोहरदगा सदर FRU में सिजेरियन की संख्या विशेष कार्ययोजना बनाकर बढ़ाने का निदेश दिया गया।
- ✓ सिविल सर्जन पलामू को जिला अस्पताल में पदस्थापीत 1 Gynecologist को हुसैनाबाद FRU में प्रतिनियुक्त करने के लिए प्रधान सचिव को अनुरोध पत्र भेजने का निदेश दिया गया।
- ✓ सिविल सर्जन पश्चिमी सिंहभूम, सदर अस्पताल के LSAS प्रशिक्षित चिकित्सक डॉ0 विरेन्द्र कुमार सिंह का वेतन अगले आदेश तक बन्द करते हुए उनसे LSAS प्रशिक्षण की पूरी राशि वापस लेने हेतु स्पष्टिकरण पत्र निर्गत कर राज्य कार्यालय को सूचित करें।
- ✓ पश्चिमी सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर एवं मनोहरपुर के प्रभारी चिकित्सा पाधिकारी को माह जनवरी 2013 तक Blood Storage Unit (BSU) स्थापित कर BSU का संचालन प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।

➢ **Bio-Medical Waste Managemnt :-**

- ✓ सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में Biomedical waste management के पूर्ण निपटारे के लिए दिशानिर्देश सभी जिलों को Quality Assurance Cell द्वारा उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- ✓ सभी जिला के सिविल सर्जन को Biomedical waste management का विस्तृत प्रतिवेदन राज्य Quality Assurance Cell को 31 जनवरी 2013 तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

➢ **Finance :-**

- ✓ सभी जिला के सिविल सर्जन को निदेशित किया गया कि राज्य कार्यालय द्वारा जिला को उपलब्ध करायी गयी राशि में से प्रखण्ड एवं उससे निचले स्तर के लिए आवंटित पूरी राशि उन स्वास्थ्य केन्द्रों को उपलब्ध करा दिया गया है, इसका प्रतिवदेन जिला के सिविल सर्जन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला लेखा प्रबंधक के हस्ताक्षर के साथ राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराये।
- ✓ सभी जिला लेखा प्रबंधक, जिला, प्रखण्ड स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं VHSNC से संबंधित सभी खातों का पूर्ण विवरण (IFSC कोड के साथ) के साथ राज्य कार्यालय को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

➢ अन्य निर्देश :–

- ✓ बोकारो जिला के अनुमण्डल अस्पताल तेतुलमारी में चिकित्सकों के Sanctioned पद एवं वर्तमान में कार्यरत चिकित्सकों की संख्या (नाम के साथ) का प्रतिवेदन राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- ✓ समीक्षा के क्रम पाया गया कि धनबाद जिला के तोपचाँची, टुण्डी एवं गोविन्दपुर स्वास्थ्य केन्द्रो का NRHM अंतर्गत संचालित सभी कार्यक्रमों की उपलब्धि बहुत ही निराशाजनक है,

अतः सिविल सर्जन को स्वयं या जिला स्तरीय पदाधिकारियों से जॉच करवाकर विस्तृत प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

- ✓ गिरिडीह जिला में Routine Immunization के Computer Operator से जिला डाटा प्रबंधक का कार्य करवाने का निदेश दिया गया।
- ✓ जामताडा के सिविल सर्जन एवं नाला के प्रभारी चिकित्सा प्रभारी को नाला CHC की उपलब्धी में सुधार लाने का निदेश दिया गया।
- ✓ देवधर के सिविल सर्जन को देवीपुर CHC का विस्तृत प्रतिवेदन राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश निदेश दिया गया।

उक्त निदेशों के आलोक में सभी जिलों के सिविल सर्जन, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला आर0सी0एच0 पदाधिकारी, सभी FRU के प्रभारी पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक तथा Menstrual Hygiene के पाँच जिलों के जिला कार्यक्रम समन्वयकों को निदेशित किया जाता है कि कृत कारवाई का Action Taken Report (ATR) अधोहस्ताक्षरी को 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अबु बक्कर सिद्दीख पी0)

ज्ञापांक :– 106 (MD) दिनांक :– 22.1.13

प्रतिलिपि –

1. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला आर0 सी0 एच0 पदाधिकारी, सभी FRU के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकरी, सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई तथा Menstrual Hygiene के पॉच जिलों के जिला कार्यक्रम समन्वयक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

(अबु बक्कर सिद्दीख पी0)